न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 425/2017/223 आर टी ए

1. इन्द्रपाल पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी 11 एलजीडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण लाल पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी 11 एलजीडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सतपाल पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी 11 एलजीडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र रामगोपाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 11 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. रामेश्वर पुत्र लाल पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. मूर्ति पुत्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सरस्वती देवी पत्नि भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. हरपाल पुत्र भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजेन्द्र पुत्र भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. सरोज पुत्री भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.17 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0 सं0 199/15 अनवानी इन्द्रपाल आदि बनाम विनोद कुमार आदि

उपस्थित :–

श्री ओमप्रकाश अरोड़ा अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8

निर्णय दिनांकः–15.06.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर वादग्रस्त के संबंध मे खाता तकसीम बाबत अनुतोष चाहा गया। उक्त वाद को दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई। दिनांक 03.06.16 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प 2016 सरावांवाला मे पेश होने पर वाद वादीगण स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त पत्रावली प्राथमिक डिक्री पालना हेतु विचाराधीन रही इसके पश्चात जून 2017 मे पत्रावली लोक अदालत कैम्पो मे चली गई। दिनांक 02.06.2017 को उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प 2017 मे पेश हुई जिसमे तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट पेश की गई जिस पर न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए कि उक्त वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण मे विरोध न करने पर न्यायालय द्वारा लोक अदालत मे प्रकरण का अवलोकन करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए तहसीलदार पीलीबंगा को विभाजन प्रस्ताव पेश करने के आदेश दिये थे। विभाजन प्रस्ताव अच्छी मंदी व खाले व रास्ते की सुविधा को देखते हुए तैयार करने के आदेश दिये थे। न्यायालय मे वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि की जमाबंदी पेश की थी तथा मृतक सहकाश्तकार के वारिसों को पक्षकार बनाया गया था जिसे न्यायालय द्वारा तलब भी किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारो को सुनकर निर्णय करना चाहिए था लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विषय पर पक्षकारो को नही सुना गया। उक्त प्रकरण तहसीलदार पीलीबंगा से विभाजन प्रस्ताव पर था जिसके तहत न्यायालय को उक्त विभाजन प्रस्ताव पर निर्णय करना था तथा जो कि पक्षकारो की आपत्ति पर भी सुनवाई करनी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण मे महज यह देखना था कि

तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव रास्ता खाला इत्यादि की सुविधा को देखते हुए तैयार किया गया है अन्यथा नही। उसके पश्चात न्यायालय यह समझता कि वह विभाजन प्रस्ताव सही नही है तो पुनः मंगवाने के आदेश करता यदि विभाजन प्रस्ताव पर एतराज नही होने पर तथा रास्ते, खाले की सुविधा है यह देखने पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निर्णय करता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अवलोकन नही किया गया तथा ना ही वादीगण को सुना गया एवं ना ही विधि के सिद्धांतो का अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट बहस के अन्त मे कथन किया कि वादीगण को उक्त निर्णय की जानकारी नही थी वादीगण अपनी पत्रावली का वकील से पूछने के लिए आए तो मालूम पड़ा कि प्रकरण का निर्णय हो चुका है जिस पर निर्णय की नकल प्राप्त की गई इस प्रकार अपीलांट को निर्णय की जानकारी दिनांक 16.11.17 को हुई जिस पर वादीगण द्वारा बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को न्यायहित मे माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपीलांट का खाता विभाजन कर डिक्री जारी की जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपनी बहस के कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि सांझा खाता मे अपीलांट एवं रेस्पो0 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपने दर्ज भूमि के संबंध मे खाता तकसीम बाबत वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2016 को वाद वादीगण स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके पश्चात तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मे विभाजन प्रस्ताव पेश किया

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे पत्रावली पेशी मे लेते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वाद वादीगण यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि ''वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली मे प्रतिवादीगण के पिता जिवित है या नही इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। दावा मे वर्णित तथ्य भी रिकार्ड से मिलान नही हो रहे है।'' जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.16 को वाद वादीगण स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसकी पालना मे तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट पर उपस्थित पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव भी भिजवाया गया है। जिसमे मुताबिक मौका कब्जा काश्त का अंकन किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प के दौरान अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय के जरिये के वाद वादीगण खारिज कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षों को विधिवत सुनवाई हेतु ना तो कोई नोटिस जारी किया है तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 16.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official